न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म० प्र०

निगरानी प्रकरण क्र॰— R-1692-II/13

उदयबीरसिंह तनय निरंजन सिंह ठाकुर आयु 48 वर्ष निवासी ग्राम मातौल तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ (म॰प्र॰) .... निगराकार

बनाम

1॰ हरीदेवी पुत्री टीकारामसिंह ठाकुर आयु वर्ष निवासी ग्राम मातौल खास तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ (म॰प्र॰)

2॰ शासन म॰प्र॰ द्वारा कलेक्टर टीकमगढ (म॰प्र॰)

... प्रतिनिगराकारगण

R.m
16/4/13

क्रमांक 1503
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 22/5/13 को प्राप्त

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म॰प्र॰ भू राजस्व संहिता 1959

निगरानी प्रतिकूल विद्वान नायब तहसीलदार महोदय खरगापुर के राजस्व प्रकरण क्रमांक/453/अ-19(4)/1995-96 मे पारित आदेश दिनांक 17/06/1996 के विरुद्ध।

महोदय,

निगरानी का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :-

यह कि पटवारी हल्का मातौल अन्तर्गत ग्राम बगाई खसरा नंम्बर 357 कुल रकबा 2॰000 हेक्टेयर का व्यवस्थापन विशेष बंध अधिनियम 1984 के तहत निगराकार के कब्जे की भूमि का पट्टा प्रतिनिगराकार क्र॰ 1 को दिया गया जब कि प्रतिनिगराकार ग्राम मातौल मे या मातौल के अन्तर्गत आने वाले अन्य राजस्व ग्रामों मे भी निवासरत नही है और न ही प्रतिनिगराकार का 1984 के पूर्व का उक्त खसरा नंबर पर कब्जा है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा व्यवस्थापन आदेश पारित किया जिसकी जानकारी निगराकार को होने पर यह निगरानी प्रस्तुत करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई -

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 1697/III/2013 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
24.4.2014	1/ यह निगरानी नायव तहसीलदार खरगापुर के प्रकरण कमांक 453 अ 19/1995–96 में पारित आदेश दिनांक 17–6–1996 के विरूद्व इस न्यायालय में दिनांक 16–4–12 को म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक को हितबद्व पक्षकार बनाये जाने एंव अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन पर सुना गया। उन्होंने बताया कि अनावेदक क–1 को ग्राम बधाई की आराजी कमांक 357 रकबा 2.000 हैक्टर का व्यवस्थापन किया गया है जबकि वह ग्राम की निवासी नहीं है । जैसे ही नायव तहसीलदार के आदेश की जानकारी हुई, उसके व्दारा निगरानी की जा रही है । उक्तांकित भूमि पर आवेदक के पिता निरंजन सिंह का कब्जा 1981 से चला आ रहा है इसलिये वह हितबद्व पक्षकार है। अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन के तथ्यों पर बल देते हुये बताया गया कि मौके पर आवेदक ने फसल बोई है किन्तु दिनांक 20.2.13 को मौके पर धमकी दी गई कि इस जमीन को छोड दो क्योंकि हमारे पास पटटा है जब पटवारी से संपर्क किया तब नकल का आवेदन दिया जिसकी नकल प्राप्त नहीं हुई एंव इस आशय का नकल शाखा ने प्रमाण पत्र दिया है कि प्रकरण	

एस0डी0ओ0 के यहॉ गया है। अतः जानकारी के दिन से निगरानी समयावधि में मान्य की जावे एंव अनावेदक को तलब करते हुये अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड भी मंगाया जाय।

3/ आवेदक के अभिभाषक व्दारा दिये गये तर्को पर विचार करने पर पाया गया कि भले ही भूमि का व्यवस्थापन अनावेदक क–1 को किया गया है किंतु आवेदक स्थानीय निवासी होने के कारण वादोक्त भूमि से हितबद्व माने जाने में बैधानिक अड़चन नहीं है।

4/ नायव तहसीलदार खरगापुर के प्रकरण कमांक 453 अ. 19/1995–96 में पारित आदेश दिनांक 17–6–1996 के अवलोकन पर पाया गया कि भूमि व्यवस्थापन आदेश के विरूद्व आवेदक को प्रथम अपील का उपचार प्राप्त है जिसके कारण सीधे राजस्व मण्डल में निगरानी श्रवण योग्य नहीं है।

5/ नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 17–6–1996 के विरूद्व इस न्यायालय में दि. 16–4–12 को निगरानी प्रस्तुत की गई है जो लगभग 15 वर्ष 10 माह के विलम्ब है ?

1. भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा–47 तथा 44 एंव परिसीमा अधिनियम, 1963 – धारा–5 – विलम्ब माफी हेतु निवेदन – आदेश की जानकारी का सही श्रोत नहीं दर्शाया गया– प्रत्येक दिन के विलम्ब का स्पष्टीकरण नहीं – विलम्ब माफ नहीं किया जा सकता।
2. म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959– धारा 47 – अनुचित विलम्ब को क्षमा करके एक पक्षकार को लाभ देते हुये द्वित्तीय पक्षकार को प्रोदभूत मूल्यवान अधिकार को विनष्ट नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त कारणों से अवधि विधान की धारा–5 में बताये गये कारण विश्वनीय न होने से स्वीकार योग्य नहीं है

प्रस्तुत अपील अनुचित विलम्ब से प्रस्तुत होना पाई गई है।

6/ अतएव निगरानी अनुचित विलम्ब से प्रस्तुत होना पाये जाने के कारण निरस्त की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण अंक से कम करते हुये रिकार्ड रूम में जमा करें।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर